न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :-85/2016/भीलवाड़ा (2016/00086)

1. हीरालाल पुत्र चतरा,
2. मोहन लाल पुत्र चतरा,
   जाति रेगर, निवासी बदनोर, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आसीन्द, जिला भीलवाड़ा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, बदनोर ।

रेस्पोर्डेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बदनोर दिनांक 22.5.2015 अपील संख्या 34/2006 .

उपस्थितः-

1. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील अपीलांट्स ।
2. रेस्पोर्डेंट्स अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः-16.11.2017

अपीलांट्स ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बदनोर जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.5.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट्स ने प्रकरण अंतर्गत धारा 88 व 92 राज0काश्त0अधि0 एवं धारा 136 राज0भू-राजस्व अधि0 का उपखण्ड अधिकारी, बदनोर के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता स्व0 चतरा पुत्र गुमाना रेगर, निवासी बदनोर के नाम दिनांक 27.6.1968 को आराजी संख्या 465 में से 5 बीघा भूमि अलौट की गई जबकि मौके पर काबिज काश्त नहीं होने से तहसील

Scanned by CamScanner

आदेश संख्या 30 दिनांक 2.8.1968 को अलौट की गई एवं मौके पर प्रार्थी को कब्जा दिया गया, तब से काबिज होकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2030 से 2033 आराजी संख्या 3251/416 रकबा 5 बीघा की गैर खातेदारी दर्ज हुई और नामांतकरण संख्या 578 दिनांक 27.6.1968 को फैसल हुआ तथा नामांतकरण संख्या 1253 दिनांक 27.11.1978 से खातेदारी अधिकारी प्राप्त हुए । अपीलांट्स के पिता के नाम खसरा नंबर 465 रकबा 5 बीघा दिनांक 27.6.1968 को अलौट हुई लेकिन तहसील के आदेश दिनांक 30.8.1968 के अनुसार परिवर्तन कर आवंट्न खसरा संख्या 416 में 5 बीघा भूमि बाबत् नोट अंकित कर मौके पर कब्जा सुपुर्द करना तथा नक्शा तरमीम कर खाता रद्दोबदल करना अंकित किया तथा उक्त खसरा नंबर 416 से ही वर्तमान में जिस भूमि पर अपीलांट्स काबिज है उक्त खसरा नंबर बनना पाया जाता है, परन्तु भू-प्रबंध विभाग द्वारा खसरा मिलान बनाते समय जिस खसरा नंबरान पर अपीलांट्स के पिता काबिज थे, उक्त खसरा मिलान पूर्व खसरा संख्या 3251/416 से बनने की बजाय पूर्व खसरा संख्या 475 से बनना बता कर इस भूमि को चारागाह भूमि अंकित कर दिया । इस कारण वांछित दुरूस्ती की जावे तथा खसरा संख्या 994, 995, 998 व 999 अपीलांट्स के नाम अंकित किये जाने की प्रार्थना की । अधी0न्याया0 में प्रकरण बहस हेतु नियत था जिसे अधी0न्याया0 ने राजस्व लोक अदालत, बदनोर में पत्रावली नियत कर दिनांक 22.5.2015 को खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत राजकीय अधिवक्ता का पद रिक्त होने से प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वादीगण/अपीलांट्स द्वारा अधी0न्याया0 में धारा 88 व 92 राज0काश्त0अधि0 एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट का अंकन करते हुए घोषणात्मक अनुतोष चाहा गया था, इसी बाबत् अभिवचनों के अनुसरण में प्रकरण को राजस्व वाद के रूप में दर्ज किया गया तथा इसी परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में विचारण भी किया गया, परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलांट्स के प्रकरण को लोक अदालत, बदनोर में मात्र धारा 136 एल0आर0एक्ट का प्रकरण मानकर प्रार्थना पत्र के रूप में वाद को खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 का निर्णय विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि पूर्व खसरा संख्या 416 तथा 375 के बीच में पूर्व राजस्व नक्शे में कहीं कोई सीमा चिन्ह नहीं था एवं राजस्व कर्मचारियो ने अपीलांट को आवंट्न व आवंट्न पश्चात् कब्जा देने संबंधी खसरा नंबर 416 होना अवगत कराया, तत्पश्चात् भू-प्रबंध के दौरान खसरा संख्या 416 से जो नये खसरा संख्या बनाये गये उक्त खसरा नंबरान को 375 से होना

Scanned by CamScanner

दर्शा दिया गया, इस प्रकार खसरा मिलान त्रुटिपूर्ण रूप से बनाये जाने तथा राजस्व नक्शे में खसरा संख्या 416 व 375 का विभाजन नहीं होने से जो त्रुटि राजस्व कर्मचारियों ने की, उसके आधार पर अपीलांट्स को दण्डित नहीं किया जा सकता है, तथा इसी बाबत् वांछित दुरूस्ती की जानी थी, परन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा नहीं कर प्रकरण में निहित सारवान बिन्दु को नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया है जो पूर्णतया अवैध एवं विधि विरूद्ध है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांट्स/वादीगण ने जो प्रकरण विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया उसे राजस्व वाद के रूप में दर्ज करने के उपरांत तथा राजस्व वाद के रूप में ही साक्ष्य लेखबद्ध करना विचारण न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है, परन्तु अधी0न्याया0 ने प्रकरण के लोक अदालत में रखकर प्रकरण को वाद के रूप में निर्णित नहीं करके मात्र राजस्व प्रार्थना पत्र के रूप में निर्णित किया है जो विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 22.5.2015 अपास्त किया जावे । xx

4- विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 22.5.2015 को राजस्व लोक अदालत में अपीलांट्स उपस्थित हुए थे, तथा खाली फर्द अहकाम पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा अधिकारियों की उपस्थिति में प्रार्थीगण से हस्ताक्षर करवाये थे तथा बताया कि हमारे प्रकरण में वांछित दुरूस्ती बाबत् आदेश पारित कर दिये है, प्रार्थीगण इसी विश्वास में रहे कि वांछित दुरूस्ती कर दी गई है । वर्ष 2016 में राज्य सरकार द्वारा पुनः लोक अदालत बाबत् अभियान चलाया गया तथा इस हेतु पटवारी से प्रार्थीगण ने संपर्क किया कि विगत वर्ष जो दुरूस्ती की गई उसका अंकन अभिलेखों में किया गया अथवा नही संबंधी जानकारी चाहने पर पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है । तत्पश्चात् प्रार्थीगण ने अभिभाषक के माध्यम से आदेश दिनांक 22.5.2015 की जानकारी कर दिनांक 9.5.2016 को आदेश की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों का अवलोकन किया एवं अभिभाषक अपीलांट्स की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट्स ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

6- प्रस्तुत प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण/अपीलांट्स ने अधी0न्याया0 में वादपत्र अंतर्गत धारा 136 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट एवं धारा 88 व 92-ए राज0काश्त0अधि0 बाबत् इंद्राज दुरूस्ती एवं घोषणा का पेश किया था । उक्त वाद प्रस्तुत होने पर दिनांक

Scanned by CamScanner

9.3.2006 को प्रतिवादी संख्या 3 राज्य सरकार जरिये अतिरिक्त तहसीलदार, बदनोर द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जिसे अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जवाब भी माने जाने का आदेश पारित किया । प्रकरण में दिनांक 1.2.2007 को उभयपक्ष की उपस्थिति में प्रकरण में तनकियात कायम की गई तथा दिनांक 7.6.2007 को वादीगण के गवाह पी0डब्ल्यू0 1 मोहनलाल, पी0डब्ल्यू0 2 मोहन, पी0डब्लयू0 3 देवीलल, पी0डब्ल्यू0 5 गजानंद के बयान एवं दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। इसी प्रकार दिनांक 12.9.2011 को प्रतिवादी अति0 तहसीलदार, बदनोर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट शामिल मिसल की गई । अधी0न्याया0 की उक्त कार्यवाही से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण को वाद के रूप में दर्ज कर प्रकरण में पक्षकारान की बहस से पूर्व तक वाद अनुसार ही कार्यवाही की है किन्तु प्रकरण को दिनांक 22.5.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प, बदनोर में रखकर अपीलांट्स के प्रकरण को मात्र धारा 136 राज0भू-राजस्व अधि0 का मानकर खारिज कर दिया । प्रकरण में जब अधी0न्याया0 द्वारा तनकियात कायम की जा चुकी थी तो अधी0न्याया0 को चाहिये था प्रकरण में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार निर्णय पारित करते किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत् नहीं ठहराया जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के कम में अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार योग्य एवं अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 22.5.2015 अपास्त योग्य होकर प्रकरण प्रतिप्रेषित योग्य पाया जाता है ।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 85/2016 (2016/00086) बउनवानी हीरालाल बनाम राज0 सरकार को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अधी0न्याया0 का प्रकरण संख्या 34/2006 बउनवान हीरालाल बनाम राज0सरकार में पारित निर्णय दिनांक 22.5.2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के कम में प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण (वाद) में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार निर्णय पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

Scanned by CamScanner